

(10)

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2014/H/5/8 (Policy).

New Delhi, Dated: - 05.06.2014.

**General Managers,
All Indian Railways.**

**General Managers/CAOs/DG,
All Production Units including RDSO.**

Sub: - Consideration of appeal of non-Gazetted candidates selected for Railway employment - Cases of candidates declared unfit upon medical examination.

Detailed provisions for reconsideration of adverse reports of medical examination of candidates selected for employment in various non-Gazetted posts in Railway Services and procedure for making an appeal and its disposal have been laid in Para 522 (I) of IRMM, Third Edition, 2000. It is not clear from the said provisions as to who would act as the appellate authority and what would be the maximum number of appeals that are permitted. This is resulting into a number of appeals for reconsideration of the cases even though they have been declared unfit during initial medical examination. Some of the candidates have also been approaching Railway Board for reconsideration of decision of the Zonal Railways on their earlier appeals.

There have also been instances where the candidate was declared unfit by the initial medical examiner due to the candidate being hypertensive/diabetic or visual acuity problems. Some such candidates have taken treatment and then, within the stipulated time frame, submitted an appeal for reconsideration. In such cases, it becomes really difficult for the appellate authority to come to a conclusion with regard to the candidate's original condition which was prevailing at the time of initial medical examination. The appellate authority will be in no position to disprove that the person has been administered medicines or has undergone surgical treatment for refractive error etc. This situation calls for a permanent remedy by laying down a specific procedure for examination of candidates, consideration of their appeal in case they are declared unfit in the initial medical examination as also disposal of subsequent appeals by higher authorities.

The matter has been considered at length in Board's Office and the following guidelines are laid down for medical examination of candidates for non-Gazetted posts, disposal of their appeals and other representations submitted to higher authorities:-

- I. Medical Examination - Medical examination of candidates will be done by a Medical officer with adequate experience in doing medical examination and one specially nominated by the CMO/CMS/MD/ACMS in charge.
- II. If a candidate has been found to be unfit on grounds of vision/colour vision/hypertension/diabetes or any other condition/ disease, the medical examiner will not issue any certificate and will put up his/her findings to the CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division/Production Unit.


- III. The candidate, without having to submit any appeal, will then be immediately examined by a three member standing medical team consisting of 1) a specialist in the field; however if the specialist is not available within the Unit/Division/Production Unit, a senior doctor would be nominated in place of a specialist 2) the medical officer who has conducted the first medical examination and 3) the third being a senior medical officer specially nominated by the CMO/CMS/MD/ACMS in charge.
- IV. This three member team will examine the candidate at the earliest after the first medical examination report is put up to the CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division. If necessary, the candidate would be kept in observation in bed. The accommodation charges etc. in this regard will be borne by the Railway Administration except for such investigations and/or consultation, which is not available in-house, for which the charges will be borne by the candidate concerned.
- V. In case the candidate absconds or absents himself wilfully prior to/during examination by the three member medical team, the decision of the first medical examiner would prevail and no further appeal shall lie with any higher authority including Railway Board.
- VI. This committee will write their detailed findings and will either endorse the first examination findings or differ and record their recommendations in the form of speaking orders, based upon which a fit/unfit certificate will be issued by the doctor who examined the candidate at the first instance. This committee's decision, as accepted by the respective CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division, will be final and no appeal will be entertained against this decision.
- VII. Once a decision has been taken at the level of the Divisional/Production Unit In charge and the candidate has been declared fit/unfit by three member committee, no further appeal shall lie with any higher authority including Railway Board.
- VIII. Consideration of specific cases :-
- (a) Once, the 03 member Committee has taken a decision on the grounds of conditions like hypertension, sub-standard vision and diabetes and the same has been accepted by the respective CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division, any representation/appeal shall be dealt with on the basis of the records and findings of the Committee and the candidate will not be subjected to re-examination.
- (b) Only in specific and exceptional cases in which there is an objective record of a disease like an X-ray finding, ECG record, Echo or a permanent defect/deformity, there can be an appeal in regard to the interpretation of such a finding and such cases can be entertained as an appeal by the CMD. CMD of the Zone may order for re-medical examination of such candidates if he is satisfied that there are genuine grounds for consideration of such an appeal. Such evidence should be submitted within one month of the date of communication of the decision of the CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division/Production Unit to the candidate. However, such an appeal shall be entertained only if the candidate produces a certificate from a Government/Private doctor of the

specialty/specialties in which the candidate has been found unfit. Such a certificate should also contain a note that the Government/Private specialist was aware of the fact that the candidate has already been declared unfit during medical examination conducted by an appropriate medical committee appointed by the Government in this regard. The government/private specialist should also certify that he is fully aware of the physical & vision standards set by the railways, and that he is aware that the candidate has already been certified as unfit according to the standards. In all cases of appeal, consultation and investigation charges as applicable, will however be recovered separately. In case of production units, such powers for consideration of appeal shall be vested in the CMD of the neighbouring/parent zone to which the production unit belonged to earlier.

- IX. For all cases, the highest level of appeal shall lie with the CMD and there is no further provision for review against the decision of a CMD i.e. in case the appeal has been rejected by the CMD or the candidate is again found unfit upon re-medical examination carried out as per the orders of the CMD, no further appeal shall lie with any higher authority including Railway Board.

Advance Correction Slip to Para 522 (1) of IRMM, 2000 is enclosed herewith.

This has the approval of Board (MS).


(R.S. Shukla) 05/06
**Dy. Director / Health
Railway Board.**

Advance Correction Slip to Para 522 of IRMM, 2000.

Sub Para (1) of Para 522 of IRMM, 2000 may be read as under:-

- I. Medical Examination – Medical examination of candidates will be done by a Medical officer with adequate experience in doing medical examination and one specially nominated by the CMO/CMS/MD/ACMS in charge.
- II. If a candidate has been found to be unfit on grounds of vision/colour vision/hypertension/diabetes or any other condition/ disease, the medical examiner will not issue any certificate and will put up his/her findings to the CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division/Production Unit.
- III. The candidate, without having to submit any appeal, will then be immediately examined by a three member standing medical team consisting of 1) a specialist in the field; however if the specialist is not available within the Unit/Division/Production Unit, a senior doctor would be nominated in place of a specialist 2) the medical officer who has conducted the first medical examination and 3) the third being a senior medical officer specially nominated by the CMO/CMS/MD/ACMS in charge.
- IV. This three member team will examine the candidate at the earliest after the first medical examination report is put up to the CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division. If necessary, the candidate would be kept in observation in bed. The accommodation charges etc. in this regard will be borne by the Railway Administration except for such investigations and/or consultation, which is not available in-house, for which the charges will be borne by the candidate concerned.
- V. In case the candidate absconds or absents himself wilfully prior to/during examination by the three member medical team, the decision of the first medical examiner would prevail and no further appeal shall lie with any higher authority including Railway Board.
- VI. This committee will write their detailed findings and will either endorse the first examination findings or differ and record their recommendations in the form of speaking orders, based upon which a fit/unfit certificate will be issued by the doctor who examined the candidate at the first instance. This committee's decision, as accepted by the respective CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division, will be final and no appeal will be entertained against this decision.
- VII. Once a decision has been taken at the level of the Divisional/Production Unit In charge and the candidate has been declared fit/unfit by three member committee, no further appeal shall lie with any higher authority including Railway Board.
- VIII. Consideration of specific cases :-
 - (a) Once, the 03 member Committee has taken a decision on the grounds of conditions like hypertension, sub-standard vision and diabetes and the same has been

accepted by the respective CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division, any representation/appeal shall be dealt with on the basis of the records and findings of the Committee and the candidate will not be subjected to re-examination.

- (b) Only in specific and exceptional cases in which there is an objective record of a disease like an X-ray finding, ECG record, Echo or a permanent defect/deformity, there can be an appeal in regard to the interpretation of such a finding and such cases can be entertained as an appeal by the CMD. CMD of the Zone may order for re-medical examination of such candidates if he is satisfied that there are genuine grounds for consideration of such an appeal. Such evidence should be submitted within one month of the date of communication of the decision of the CMO/MD/CMS/ACMS in charge of the Unit/Division/Sub-division/Production Unit to the candidate. However, such an appeal shall be entertained only if the candidate produces a certificate from a Government/Private doctor of the specialty/specialties in which the candidate has been found unfit. Such a certificate should also contain a note that the Government/Private specialist was aware of the fact that the candidate has already been declared unfit during medical examination conducted by an appropriate medical committee appointed by the Government in this regard. The government/private specialist should also certify that he is fully aware of the physical & vision standards set by the railways, and that he is aware that the candidate has already been certified as unfit according to the standards. In all cases of appeal, consultation and investigation charges as applicable, will however be recovered separately. In case of production units, such powers for consideration of appeal shall be vested in the CMD of the neighbouring/parent zone to which the production unit belonged to earlier.
- IX. For all cases, the highest level of appeal shall lie with the CMD and there is no further provision for review against the decision of a CMD i.e. in case the appeal has been rejected by the CMD or the candidate is again found unfit upon re-medical examination carried out as per the orders of the CMD, no further appeal shall lie with any higher authority including Railway Board.


(Authority: - Railway Board's letter No. 2014/H/5/8(Policy) dated 05.06.2014.

No. 2014/H/5/8 (Policy).

New Delhi, Dated:- 05.06.2014.

Copy to: -

1. Chief Medical Directors and CMOs/All Indian Railways (Including PUs & RDSO).
2. Computer facilitation Centre, Room No. 5, Near Gate No.1, Rail Bhawan.
3. Directors of CTIs, RSC/Baroda, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik, IRISSET, Secunderabd, IRIMEE/Jamalpur and IREITEM/Lucknow.
4. The Director General, Railway Staff College, Vadodara.
5. The managing Director, RITES, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi and (b) IRCON Palika Bhawan, Sector XIII, R.K. Puram, New Delhi. (c) CRIS, Safdarjung Railway Station, Chankyapuri, New Delhi. (d) IRFC (e), CONCOR of India, Ltd., Konkan Railway Corpn. Ltd. Belapur Bhawan Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai, NVNL, Plot No. 25, 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.
6. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
7. The Secretary, Railway Board, Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRCEN, Pune (c) IRIMEE, Lamalpur (d) IRISSET, Secunderabad.
8. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
9. The Chairman, RRT, Chennai.
10. The Chairman, RCT.
11. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad & Trivandrum.
12. The Director, CAMTECH/Gwalior.
13. The CAO (a) MTP(G)/Mumbai (b) MTP (G)/Chennai.
14. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railways Central Organisation for Telecom Consultancy, Shivaji Bridge, New Delhi.
15. Chief Mining Advisor, Ministry of Railway, Dhanbad.
16. The Director (Movement) Railways/Kolkata.


(R.S. Shukla) 05/06
**Dy. Director /Health
Railway Board.**

No. 2014/H/5/8 (Policy).

New Delhi, Dated:- 05.06.2014.

Copy to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Feorzeshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Chief Commissioner of Railway Safety, Luckinow.
12. Advisor (Safety), Railway Board, New Delhi.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
14. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.


For Secretary, Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/एच./5/8 (पॉलिसी)

नई दिल्ली, दिनांक 05.06.2014.

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

महाप्रबंधक/मुख्य लेखा अधिकारी/ महानिदेशक,
अअमास सहित सभी उत्पादन इकाइयां

विषय: रेलवे में नियोजन के लिए चयनित किए गए अराजपत्रित उम्मीदवारों की अपील पर
विचार करना— चिकित्सा जांच में अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के मामले.

रेल सेवा में विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नियोजन के लिए चुने गए उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की प्रतिकूल रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिए विस्तृत प्रावधान तथा अपील करने एवं इसके निपटान करने की प्रक्रिया भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 (तृतीय संस्करण) के पैरा 522(1) में दी गई है. उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट नहीं है कि कौन व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा और अनुमति प्राप्त अपीलों के मामलों की अधिकतम संख्या कितनी है जिसके कारण प्रारंभिक चिकित्सा जांच के दौरान अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद भी मामलों पर पुनर्विचार के लिए अपीलों की संख्या में वृद्धि हुई है. कुछ उम्मीदवारों ने अपनी पूर्व अपीलों पर क्षेत्रीय रेलवे के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क किया है.

ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहाँ उम्मीदवार को उच्च रक्तचाप/मधुमेह अथवा दृश्य बाध्यता संबंधी समस्याओं के कारण प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षक द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था. ऐसे कुछ उम्मीदवारों ने उपचार लिया और फिर निर्धारित समयावधि के भीतर मामले पर पुनर्विचार के लिए अपील की. ऐसे मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार

की प्रारंभिक चिकित्सा जाँच के समय की वास्तविक स्थिति के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचना वास्तव में कठिन हो जाता है. अपीलीय प्राधिकारी इस बात को गलत सिद्ध करने की स्थिति में नहीं होगा कि व्यक्ति ने दवाइयां ली हैं अथवा अपवर्तक त्रुटि आदि के लिए शल्य चिकित्सा उपचार करवाया है. ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों की जांच करने, प्रारंभिक चिकित्सा जांच में उनके अयोग्य घोषित होने के स्थिति में उनकी अपील पर विचार करने और उच्च प्राधिकारियों द्वारा उसकी बाद की अपीलों के निपटान के लिए भी एक विनिर्दिष्ट कार्यविधि तैयार करते हुए स्थायी उपाय करने की आवश्यकता है.

बोर्ड कार्यालय में इस मामले पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है और अराजपत्रित पदों के लिए उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच करने, उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत उनकी अपीलों और अन्य अभ्यावेदनों के निपटान के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश निर्धारित किए जाते हैं:-

- I. चिकित्सा जांच- उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे चिकित्सा जांच करने का पर्याप्त अनुभव हो और जिसे प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से नामित किया गया हो.
- II. यदि उम्मीदवार दृश्यता /वर्णान्धता/ उच्च रक्तचाप /मधुमेह अथवा किसी अन्य स्थिति / बीमारी के आधार पर अयोग्य किया गया पाया गया है तो चिकित्सा परीक्षक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा और अपने निष्कर्ष इकाई/मंडल/उप मंडल/उत्पादन इकाई के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा.
- III. ऐसे उम्मीदवार की, बिना कोई अपील प्रस्तुत किए हों, तुरंत तीन सदस्यों वाले स्थायी चिकित्सा दल द्वारा जांच की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे - 1) उस क्षेत्र का विशेषज्ञ लेकिन यदि उस यूनिट/ मंडल/उत्पादन इकाई में विशेषज्ञ उपलब्ध न हो तो विशेषज्ञ के स्थान पर एक वरिष्ठ डॉक्टर को नामित किया जाएगा 2) चिकित्सा अधिकारी जिसने पहली चिकित्सा जांच की है और 3) प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक/ सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से नामित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में तीसरा अधिकारी.

- IV. यह तीन सदस्यीय दल उम्मीदवार की इकाई/मंडल/उप मंडल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रस्तुत पहली चिकित्सा जांच रिपोर्ट के बाद शीघ्र ही उसकी जांच करेगा. यदि आवश्यक होगा तो उम्मीदवार को अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में रखा जाएगा. इस संबंध में आवेदक को ठहराने के प्रभार रेल प्रशासन द्वारा वहन किए जाएंगे सिवाय ऐसी जांच पड़ताल और अथवा परामर्श के जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए प्रभार संबंधित उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे .
- V. यदि उम्मीदवार तीन सदस्य वाले चिकित्सा दल द्वारा जांच से पूर्व अथवा जांच के दौरान जानबूझकर फरार अथवा अनुपस्थित हो जाता है तो पहले चिकित्सा परीक्षक का निर्णय लागू होगा और रेलवे बोर्ड सहित किसी उच्च प्राधिकारी को आगे कोई अपील नहीं की जाएगी.
- VI. यह समिति अपने विस्तृत निष्कर्ष लिखेगी और पहली जांच के निष्कर्ष अथवा इससे भिन्न पृष्ठांकित करेगी और स्पीकिंग आर्डर के फार्म में अपनी सिफारिशें रिकार्ड करेगी जिसके आधार पर पहली दफा उम्मीदवार की जांच करने वाले डॉक्टर द्वारा योग्य/अयोग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इकाई/मंडल/उप मंडल के प्रभारी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा यथास्वीकृत इस समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस निर्णय के विरुद्ध किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा.
- VII. प्रभारी मंडल/उत्पादन इकाई के स्तर पर एक बार निर्णय ले लिए जाने और तीन सदस्य वाली समिति द्वारा उम्मीदवार को योग्य/ अयोग्य घोषित कर दिये जाने के बाद रेलवे बोर्ड सहित किसी उच्च प्राधिकारी के पास आगे कोई अपील नहीं की जा सकेगी.
- VIII. विशिष्ट मामलों पर विचार:
- (क) यदि एक बार, तीन सदस्यीय समिति ने उच्च रक्तचाप, कमजोर दृष्टि और मधुमेह जैसे स्थितियों के आधार पर निर्णय ले लिया है और उस निर्णय को इकाई/मंडल/उप मंडल के प्रभारी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा

/ सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो ऐसे किसी अभ्यावेदन/अपील पर रिकार्ड और समिति के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और उम्मीदवार की पुनः जांच नहीं की जाएगी.


(ख) केवल विनिर्दिष्ट और आपवादिक मामलों में जिनमें बीमारी का विषयपरक रिकार्ड है जैसे - एक्स-रे के निष्कर्ष, ईसीजी रिकार्ड, इको अथवा कोई स्थायी दोष/विकृति है तो ऐसे निष्कर्ष की व्याख्या के संबंध में अपील की जा सकती है और ऐसे मामलों को मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा अपील के रूप में माना जा सकता है. जोन का मुख्य चिकित्सा निदेशक यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी अपील पर विचार करने के लिए वास्तविक आधार है तो वह ऐसे उम्मीदवारों की पुनः चिकित्सा जांच करने के आदेश दे सकता है. ऐसा साक्ष्य उम्मीदवार को इकाई/मंडल/उप मंडल/उत्पादन इकाई के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का निर्णय संसूचित किये जाने की तारीख के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए. बहरहाल, ऐसी अपील पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उम्मीदवार उस विशेषज्ञता/विशेषज्ञताओं वाले सरकारी/प्राइवेट डॉक्टर से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें उम्मीदवार को अयोग्य पाया गया है. ऐसे प्रमाण पत्र के साथ एक नोट भी लगा होना चाहिए कि सरकारी/प्राइवेट विशेषज्ञ इस तथ्य को जानता था कि उम्मीदवार इस संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त उपयुक्त चिकित्सा समिति द्वारा की गई चिकित्सा जांच के दौरान पहले से ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है. सरकारी/प्राइवेट विशेषज्ञ यह भी प्रमाणित करे कि वह रेलवे द्वारा तय किए गए शारीरिक और दृश्यता मानकों से पूर्णतया अवगत है और यह कि वह इस बात से अवगत है कि उम्मीदवार को मानकों के अनुसार पहले से ही अयोग्य प्रमाणित किया जा चुका है. बहरहाल, अपील के सभी मामलों में यथा लागू परामर्श और जांच प्रभार अलग से वसूल किए जाएंगे. उत्पादन इकाइयों के मामलों में अपील पर विचार करने की ऐसी शक्तियां पड़ोसी/मूल जोन जिससे उत्पादन इकाई पहले संबंधित थी, के मुख्य चिकित्सा निदेशक के पास रहेंगी.

IX. सभी मामलों में, उच्चतम स्तर पर अपील मुख्य चिकित्सा निदेशक को की जाएगी और मुख्य चिकित्सा निदेशक के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई अन्य प्रावधान नहीं है अर्थात् यदि अपील मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है अथवा उम्मीदवार को मुख्य चिकित्सा निदेशक के आदेशों के अनुसार की गई पुनः

चिकित्सा जांच में पुनः अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो रेलवे बोर्ड सहित किसी भी उच्च प्राधिकारी को पुनः अपील नहीं की जाएगी.

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 522(1) की अग्रिम शब्धि पर्ची इसके साथ संलग्न है.

इसे बोर्ड (सदस्य कार्मिक) का अनुमोदन प्राप्त है.



(आर.एस.शुक्ला)

उप निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड.

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 522 की अग्रिम शुद्धि पर्ची

- I. चिकित्सा जांच- उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे चिकित्सा जांच करने का पर्याप्त अनुभव हो और जिसे प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से नामित किया गया हो.
- II. यदि उम्मीदवार दृश्यता /वर्णान्धता/ उच्च रक्तचाप /मधुमेह अथवा किसी अन्य स्थिति / बीमारी के आधार पर अयोग्य किया गया पाया गया है तो चिकित्सा परीक्षक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा और अपने निष्कर्ष इकाई/मंडल/उप मंडल/उत्पादन इकाई के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा.
- III. ऐसे उम्मीदवार की, बिना कोई अपील प्रस्तुत किए हों, तुरंत तीन सदस्यों वाले स्थायी चिकित्सा दल द्वारा जांच की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे - 1) उस क्षेत्र का विशेषज्ञ लेकिन यदि उस यूनिट/ मंडल/उत्पादन इकाई में विशेषज्ञ उपलब्ध न हो तो विशेषज्ञ के स्थान पर एक वरिष्ठ डॉक्टर को नामित किया जाएगा 2) चिकित्सा अधिकारी जिसने पहली चिकित्सा जांच की है और 3) प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक/ सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से नामित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में तीसरा अधिकारी.
- IV. यह तीन सदस्यीय दल उम्मीदवार की इकाई/मंडल/उप मंडल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रस्तुत पहली चिकित्सा जांच रिपोर्ट के बाद शीघ्र ही उसकी जांच करेगा. यदि आवश्यक होगा तो उम्मीदवार को अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में रखा जाएगा. इस संबंध में आवेदक को ठहराने के प्रभार रेल प्रशासन द्वारा वहन किए जाएंगे सिवाय ऐसी जांच पड़ताल और अथवा परामर्श के जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए प्रभार संबंधित उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे .
- V. यदि उम्मीदवार तीन सदस्य वाले चिकित्सा दल द्वारा जांच से पूर्व अथवा जांच के दौरान जानबूझकर फरार अथवा अनुपस्थित हो जाता है तो पहले चिकित्सा परीक्षक का निर्णय लागू होगा और रेलवे बोर्ड सहित किसी उच्च प्राधिकारी को आगे कोई अपील नहीं की जाएगी.

- VI. यह समिति अपने विस्तृत निष्कर्ष लिखेगी और पहली जांच के निष्कर्ष अथवा इससे भिन्न पृष्ठांकित करेगी और स्पीकिंग आर्डर के फार्म में अपनी सिफारिशें रिकार्ड करेगी जिसके आधार पर पहली दफा उम्मीदवार की जांच करने वाले डॉक्टर द्वारा योग्य/अयोग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा इकाई/मंडल/उप मंडल के प्रभारी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा यथास्वीकृत इस समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस निर्णय के विरुद्ध किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा.
- VII. प्रभारी मंडल/उत्पादन इकाई के स्तर पर एक बार निर्णय ले लिए जाने और तीन सदस्य वाली समिति द्वारा उम्मीदवार को योग्य/ अयोग्य घोषित कर दिये जाने के बाद रेलवे बोर्ड सहित किसी उच्च प्राधिकारी के पास आगे कोई अपील नहीं की जा सकेगी.
- VIII. विशिष्ट मामलों पर विचार:
- (क) यदि एक बार, तीन सदस्यीय समिति ने उच्च रक्तचाप, कमजोर दृष्टि और मधुमेह जैसे स्थितियों के आधार पर निर्णय ले लिया है और उस निर्णय को इकाई/मंडल/उप मंडल के प्रभारी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो ऐसे किसी अभ्यावेदन/अपील पर रिकार्ड और समिति के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और उम्मीदवार की पुनः जांच नहीं की जाएगी.
- (ख) केवल विनिर्दिष्ट और आपवादिक मामलों में जिनमें बीमारी का विषयपरक रिकार्ड है जैसे - एक्स-रे के निष्कर्ष, ईसीजी रिकार्ड, इको अथवा कोई स्थायी दोष/विकृति है तो ऐसे निष्कर्ष की व्याख्या के संबंध में अपील की जा सकती है और ऐसे मामलों को मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा अपील के रूप में माना जा सकता है. जोन का मुख्य चिकित्सा निदेशक यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी अपील पर विचार करने के लिए वास्तविक आधार है तो वह ऐसे उम्मीदवारों की पुनः चिकित्सा जांच करने के आदेश दे सकता है. ऐसा साक्ष्य उम्मीदवार को इकाई/मंडल/उप मंडल/उत्पादन इकाई के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा निदेशक / सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का निर्णय संसूचित किये जाने की तारीख के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए. बहरहाल, ऐसी अपील पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उम्मीदवार उस विशेषज्ञता/विशेषज्ञताओं वाले सरकारी/प्राइवेट डॉक्टर से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें उम्मीदवार को अयोग्य पाया गया है. ऐसे प्रमाण पत्र के साथ एक नोट भी लगा होना चाहिए कि सरकारी/प्राइवेट विशेषज्ञ इस तथ्य को जानता था कि उम्मीदवार इस संबंध


में सरकार द्वारा नियुक्त उपयुक्त चिकित्सा समिति द्वारा की गई चिकित्सा जांच के दौरान पहले से ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है. सरकारी/प्राइवेट विशेषज्ञ यह भी प्रमाणित करे कि वह रेलवे द्वारा तय किए गए शारीरिक और दृष्यता मानकों से पूर्णतया अवगत है और यह कि वह इस बात से अवगत है कि उम्मीदवार को मानकों के अनुसार पहले से ही अयोग्य प्रमाणित किया जा चुका है. बहरहाल, अपील के सभी मामलों में यथा लागू परामर्श और जांच प्रभार अलग से वसूल किए जाएंगे. उत्पादन इकाइयों के मामलों में अपील पर विचार करने की ऐसी शक्तियां पड़ोसी/मूल जोन जिससे उत्पादन इकाई पहले संबंधित थी, के मुख्य चिकित्सा निदेशक के पास रहेंगी.

- IX. सभी मामलों में, उच्चतम स्तर पर अपील मुख्य चिकित्सा निदेशक को की जाएगी और मुख्य चिकित्सा निदेशक के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई अन्य प्रावधान नहीं है अर्थात यदि अपील मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है अथवा उम्मीदवार को मुख्य चिकित्सा निदेशक के आदेशों के अनुसार की गई पुनः चिकित्सा जांच में पुनः अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो रेलवे बोर्ड सहित किसी भी उच्च प्राधिकारी को पुनः अपील नहीं की जाएगी.

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्रांकसं. 2014/एच./5/8 (पॉलिसी) दिनांक 5.06.2014)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य चिकित्सा निदेशक तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयों एवं अअमास सहित)
2. कम्प्यूटर सुविधा केंद्र, कमरा सं.5 नियर गेट सं.1, रेल भवन.
3. सीटीआई के निदेशक, आरएससी/बड़ोदा, इरिसेन/पुणे, इरिएन/ नासिक, इरिसेट/सिकंदराबाद, इरिमी/जमालपुर तथा इरिटेम लखनऊ.
4. महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कालेज, वड़ोदरा.
5. प्रबंध निदेशक, राइट्स, नई दिल्ली, 27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली (ख) इरकॉन पालिका भवन, सेक्टर XIII, आर के पुरम, नई दिल्ली (ग) सीआरआईएस, सफदरजंग रेलवे स्टेशन, चाणक्यापुरी, नई दिल्ली (घ) आईआरएफसी (ड) कॉनकॉर इंडिया लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लि.,बेलापुर भवन सेक्टर-11,सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, एनवीएनएल,प्लॉट सं. 25, प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस , नई दिल्ली-110066.
6. महासचिव, आईआरसीए/ नई दिल्ली .
7. सचिव, रेलवे बोर्ड, प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. अध्यक्ष, आरसीसी, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली.
9. अध्यक्ष, आरआरटी, चेन्नै.
- 10.अध्यक्ष, आरसीटी.
- 11.अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड/अजमेर, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडिगढ, चेन्नै, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुज्जफरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, एवं त्रिवेन्द्रम.
- 12.निदेशक, केमटेक/ ग्वालियर.
- 13.मुख्य लेखाधिकारी, (क) एमटीपी(जी)/मुंबई (ख) एमटीपी(जी)/चेन्नै.
- 14.मुख्य परियोजना प्रशासक(टेलिकॉम) का कार्यालय, टेलिकॉम कंसलटेंसी के लिए भारतीय रेलवे के केंद्रीय संस्थान, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली.
- 15.मुख्य खान सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद.
- 16.निदेशक(संचलन) रेलवे/ कोलकाता.



(आर.एस. शुक्ला)

उप निदेशक/स्वास्थ्य

रेलवे बोर्ड